

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ — /2026, दिनांक:- मार्च 23, 2026

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित अपीलों के निस्तारण हेतु, मुख्यालय पर दिनांक 22.04.2026 एवं 23.04.2026 को पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में, मेरे साथ श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ एवं श्रीमती वन्दना सिंह, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-23.03.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/214/2026, दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2-वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 4-वरिष्ठ सहायक (नाजिर), मुख्यालय, लखनऊ।
- 5-कमिशनर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।